

सं0सं0-14/एम 10-100/2006(खण्ड)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय:-मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में प्रावधानित राशि में वृद्धि एवं अधिसूचित रोगों के अलावे अन्य रोगों को शामिल करने के संबंध में।

राज्य के नागरिकों, जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रुपये तक है, के असाध्य रोगों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय संकल्प सं0-752(14) दि0-26.05.15 द्वारा अनुदान की राशि एवं असाध्य रोगों का निर्धारण किया गया है।

2. उक्त कोष से पूर्व में निर्धारित चिकित्सा राशि में वृद्धि एवं कतिपय अन्य रोगों को शामिल करने एवं उनके लिए अनुदान निर्धारित करने का मामला सरकार के विचाराधीन था।

विचारोपरान्त स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0-752(14) दिनांक-26.05.15 में अधिसूचित रोगों के अतिरिक्त अन्य रोगों को शामिल करते हुए अधिसूचित राशि में वृद्धि के उपरान्त कड़िका -3 में अंकित राशि निर्धारित किया जाता है।

क्र0	रोगों का नाम			अनुदान की राशि (रुपये में)
(1)	(2)			(3)
1.	कैंसर	राज्य के अंदर	शल्य चिकित्सा रहित	Rs 80,000 / -
			शल्य चिकित्सा सहित	Rs 1,00,000/-
		राज्य के बाहर	शल्य चिकित्सा रहित	Rs 1,00,000 / -
			शल्य चिकित्सा सहित	Rs 1,20,000 / -
2.	हृदय रोग	MVR		Rs 1,50,000 / -
		AVR		Rs 1,50,000 / -
		DVR		Rs 1,90,000 / -
		PTCA		Rs 1,35,000 / -
		CARDIAC CONDUIT REPAIR		Rs 1,80,000 / -
		VSD		Rs 85,000 / -
		ASD		Rs 85,000 / -
		PDA		Rs 60,000 / -
		TOF		Rs 1,80,000 / -
		PACE MAKER		Rs 1,00,000 / -
		LAMYXOMA/OMV		Rs 1,20,000 / -
		CABG		Rs 1,80,000 / -
		BMV (Balloon mitral Valvotomy)		Rs 60,000 / -

271(14)
15.02.18

3.	एड्स रोग		Rs 1,20,000 / -
4	ब्रेन रोग	लघु शल्य क्रिया	Rs 60,000 / -
		वृहत् शल्य क्रिया	Rs 3,00,000 / -
5	नेत्र रोग (सर्जरी)	Cataract	Rs 20,000 / -
		Retina	Rs 40,000 / -
6	स्पाइनल सर्जरी		Rs 1,80,000 / -
7.	मेजर वासकुलर सर्जरी		Rs 2,40,000 / -
8.	गुर्दा रोग	गुर्दा प्रत्यारोपण	Rs 3,00,000 / -
9.	कोकलियर इम्प्लांट		Rs 5,50,000 / -
10	आर्थोपेडिक टोटल हीप रिप्लेसमेन्ट	Cemented	Rs 1,20,000 / -
		Uncemented	Rs 1,70,000 / -
	टोटल नी रिप्लेसमेन्ट		Rs 1,50,000 / -
11	प्लास्टिक सर्जरी/एसिड एटैक से पीड़ित	(चेहरा) Face	Rs 1,80,000 / -
		(अन्य भाग) Other Part	Rs 1,20,000 / -
12	बोन मैरो ट्रॉसप्लान्ट	सर्जरी सहित	Rs 5,00,000 / -
13	हिमोफिलिया	सर्जरी सहित	Rs 80,000 / -
14	ट्रान्स जेन्डर	सर्जरी सहित	Rs 1,50,000 / -
15	हेपेटाइटिस		Rs 1,00,000 / -
16	ट्रामा/दुर्घटना/ब्रेन हेमरेज	शल्य चिकित्सा सहित/रहित	Rs 1,00,000 / -

3. उपरोक्त सम्बंधित रोगों की चिकित्सा सभी सरकारी अस्पतालों एवं सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए ही मान्य होगी। यह सुविधा सिर्फ बिहार के नागरिकों के लिए होगी। चिकित्सा अनुदान की प्राप्ति हेतु वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) तक निर्धारित रहेगी।

4. (A) स्वीकृति की प्रक्रिया :-

आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात अनिवार्य होंगे :-

- सरकारी/सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन।
- अद्यतन मूल आय प्रमाण पत्र (पता सहित अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत)
- चिकित्सा पुर्जा की छायाप्रति, के साथ आवेदन करना होगा।

(B) प्राप्त ऐसे आवेदनों पर स्वीकृति हेतु निर्णय लेने के लिए निम्न अनुसार अधिकृत राज्यस्तरीय समिति गठित की गई है:-

- | | |
|---|--------------|
| (i) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना | ➤ अध्यक्ष |
| (ii) मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा नामित संयुक्त सचिव/उप सचिव/ओ0एस0डी0 | ➤ सदस्य |
| (iii) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग | ➤ सदस्य |
| (iv) अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना | ➤ सदस्य सचिव |

(C) समिति की बैठक प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में अपराह्न 3:30 बजे होगी। बैठक में सप्ताह भर में प्राप्त आवेदनों पर समिति द्वारा जॉचोपरान्त नियमानुसार विचार किया जायेगा। वर्षित रोग के लिए प्रावधानित राशि अथवा प्राक्कलित राशि दोनों में से जो कम होगी, वहीं अनुदान देय होगा। बुधवार को अवकाश की स्थिति में बैठक पूर्व/अगले कार्य दिवस में निर्धारित रहेगी।

(D) उपबंधित राशि की निकासी कर इसे निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें तथा अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें के पदनाम से खोले गये बैंक खाता में रखा जायगा। स्वीकृत चिकित्सा अनुदान की राशि RTGS/Cross चेक के माध्यम से संबंधित संस्थान को भेजी जाएगी।

(E) स्वीकृत अनुदान की राशि संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी को नहीं दी जायेगी। चिकित्सोपरान्त अनुदान की स्वीकृति/प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है।

5. उपर्युक्त सुविधा वैसे राज्य सरकार के लोक उपक्रमों के कर्मियों को भी दी जा सकेगी, जो उपक्रम अकार्यरत हो या घाटे में हो या विघटन की प्रक्रिया में हो। वैसे कर्मी अपने उपक्रम के प्रबंध निदेशक के माध्यम से समिति को अपना आवेदन भेजेंगे। उनके लिये आय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

6. चिकित्सोपरान्त अनुदान की स्वीकृति/प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु अतिआकस्मिकता की स्थिति यथा हृदय आघात, अतिगंभीर दुर्घटना एवं ब्रेन हेमरेज (दुर्घटना/ट्रामा मामले) में मरीज के सरकारी अस्पताल/सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती होने पर निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को चिकित्सारत अवधि के अधिकतम 10(दस) दिनों के अन्दर सूचित किये जाने पर चिकित्सा में खर्च की गई प्रावधानित/अधिसूचित राशि की प्रतिपूर्ति अतिविशेष परिस्थिति में की जा सकेगी।

7. अति विशिष्ट मामलो में उपर्युक्त प्रावधानित राशि एवं अधिसूचित रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य बीमारी में या प्रावधानित राशि से अधिक व्यय होने पर विशेष आकस्मिकता की स्थिति में निम्नानुसार प्रावधानित राशि के अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है:-

271(14)
15.02.18

- (a) मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित राज्यस्तरीय समिति को प्रत्येक मामले में अधिकतम रु० एक लाख की अधिसीमा तक।
- (b) उक्त समिति की अनुशंसा पर सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को तीन लाख रु० की अधिसीमा तक।
- (c) उक्त समिति की अनुशंसा पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य को छः लाख रु० की अधिसीमा तक।
- (d) उक्त समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग की सहमति से बारह लाख रु० की अधिसीमा तक।

इससे ऊपर की राशि की स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

8. नई दिल्ली में ईलाज हेतु स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को पूर्व से ही राशि दी जाती है। मुम्बई में कैंसर के ईलाज हेतु टाटा स्मारक अस्पताल में काफी संख्या में बिहार के मरीज जब उपचार के लिये आते हैं तो उन्हें अनुदान स्वीकृत कराने के लिए मुम्बई से बिहार के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया को सरलीकृत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी क्रम में विचारोपरान्त निम्न प्रावधान किया जाता है :-

- (A) स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के तर्ज पर मुम्बई में उद्योग विभाग, बिहार के निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई को भी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" की एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस राशि से बिहार के रोगियों को जो टाटा स्मारक अस्पताल, मुम्बई में कैंसर रोग की चिकित्सा कराते हैं, उन्हें कडिका 2 की विवरणी के क्रमांक-1 पर अंकित के अनुरूप राशि स्वीकृत की जायगी।

(B) शर्त :-

चिकित्सा पर होनेवाले व्यय के लिए अग्रिम बतौर राशि विभाग के द्वारा संबंधित निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई को उपलब्ध करा दी जायगी, जिसे वे राष्ट्रीयकृत बैंक के दफ्त खाते में रखेंगे।

- (i) प्राप्त आवेदनों की जाँच कर निर्धारित सीमा एवं वास्तविक अनुमानित व्यय, दोनों में से जो कम हो, के अन्तर्गत चिकित्सा की स्वीकृति उनके स्तर से दी जायेगी।
- (ii) चिकित्सा के उपरान्त रोगी के आवेदन की प्रति निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई/स्थानिक आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में संधारित की जायगी, जिसे अकेक्षण के समय अथवा अन्य अवसर पर माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (iii) आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करने के पश्चात अगला आवंटन दिया जा सकेगा।

(iv) स्वीकृति देने से पूर्व रोगी से सम्बन्धित निम्न कागजातों के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा:-

- अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन मूल आय प्रमाण पत्र।
- चिकित्सा संस्थान, द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन।
- आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।

9. स्वास्थ्य विभाग को इस कोष से भुगतान होने वाली राशि की प्रक्रिया में एवं मरीजों के हित के लिए किसी भी प्रकार के परिवर्तन/सरलीकरण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

10. इस हेतु पूर्व से निर्गत सभी संकल्प संशोधित समझे जायेंगे।

15/2/2018
(संजय कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-271(14)

पटना, दिनांक 15-02-18

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

15/2/2018

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-271(14)

पटना, दिनांक 15.02.18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/बिहार के निदेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/2018
सरकार के प्रधान सचिव।
21-2-2018